

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,  
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं.—64ए/2016  
संस्थित दिनांक—01.08.2016

1. कप्तान सिंह पुत्र हम्मीर सिंह यादव आयु 72 साल,  
पेशा खेती निवासी ग्राम मीठाखेडी,
2. पहलवान सिंह पुत्र हम्मीर सिंह यादव आयु 69 साल,  
निवासी ग्राम मीठाखेडा,
3. भगवान सिंह पुत्र हम्मीर सिंह यादव आयु 66 साल,  
निवासी मीठाखेडा,
4. राजाभैया पुत्र हम्मीर सिंह यादव आयु 51 साल,  
निवासी ग्राम मीठाखेडा तहसील चंदेरी,  
जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादीगण

विरुद्ध

1. प्रभूबाई पुत्री बादम सिंह पत्नी हुकुम सिंह यादव,  
आयु 56 साल पेशा खेती निवासी ग्राम मीठाखेडा,  
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
2. मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 08.02.2018 को पारित ::

01:—यह वाद ग्राम मीठाखेडा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 153/278/02 रकबा 2.091 हैक्टेयर भूमि जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं कब्जा वापसी की सहायता सहित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत एवं उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार चंदेरी के पारित किया गया, आदेश व्यवहार वाद क्रमांक 37ए/2002 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2003 एवं डिक्री वादीगण के स्वत्व के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने तथा दावा प्रस्तुति दिनांक से 2000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से क्षतिपूर्ति राशि प्रतिवादीगण से दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

02:— दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि का दावे के साथ संलग्न नक्शों के अनुसार अ,ब,स,द भाग का बटवारा वादीगण के मध्य हो गया है। बटवारा उपरांत सर्वे क्रमांक—153/278/02/01 रकबा—0.532 हैक्टेयर वादी कप्तान सिंह को प्राप्त हुआ, सर्वे क्रमांक—153/278/02/02 रकबा—0.627 हैक्टेयर वादी पहलवान सिंह, सर्वे क्रमांक—153/278/02/03 रकबा—0.523 हैक्टेयर वादी भगवान सिंह को प्राप्त हुआ

को प्राप्त हुआ, सर्वे क्रमांक—153/278/02/04 रकबा—0.418 हैक्टेयर वादी राजा भैया को प्राप्त हुआ। बटवारे अनुसार भूमियों का पटवारी के द्वारा खसरे में बटा अंकित कर दिया गया, परन्तु अक्श में बटवारे में प्राप्त भूमियों पर बटा अंकित न करके सर्वे क्रमांक—153/278/02 ही चिह्नित रहा। विवादित भूमि पर बादाम सिंह तथा प्रतिवादी का और न ही प्रतीम सिंह, संग्राम सिंह, दलेल सिंह और श्रीराम का कोई संबंध नहीं रहा है।

03:—प्रतिवादी क्रमांक—01 के पिता ने विवादग्रस्त भूमि हड़पने के उद्देश्य से सर्वे क्रमांक—151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक—151/02 की आड में अपने परिवार के प्रतीम सिंह, संग्राम सिंह, दलेल सिंह व श्रीराम को प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में पक्षकार बनाकर एवं गलत नक्शा बनाकर धोखे से मिलीभगत कर राजीनामों के आधार पर डिक्री पारित करवा ली, जो कि वादीगण पर बंधकारी नहीं है। नायब तहसीलदार ने वादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त प्रकरण में पारित डिक्री के आधार पर विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—01 के पिता बादाम सिंह का बटा अंकित कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध था। वादीगण के द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार करते हुये तहसीलदार को पुनः प्रकरण सुनवाई हेतु भेजा गया। वादीगण के द्वारा तहसीलदार चंदेरी से नक्शों में पूर्व की स्थिति कायम करने का काफी बार निवेदन किया गया, परन्तु तहसीलदार चंदेरी ने न्यायालय के आदेश की आड लेकर वादीगण का आवेदन निरस्त कर दिया।

04:—प्रतिवादी क्रमांक—01 ने बादाम सिंह की मृत्यु के बाद दिनांक—10.04.2014 को वादीगण के विवादित भूमि पर स्वत्व को ललकारते हुये, उन्हें गम्भीर केस में फंसाने की धमकी देकर विवादित भूमि पर अपना स्वत्व बताते हुये उसके संलग्न नक्शे में दर्शाये गये क, ख, ग, घ भाग जो कि पांच बीघा है, पर जबरन कब्जा कर लिया। वाद कारण दिनांक—10.04.2014 को प्रतिवादी क्रमांक—01 के द्वारा विवादित भूमि के अंश भाग क, ख, ग, घ पर कब्जा करने एवं तहसीलदार द्वारा वादी का आवेदन निरस्त करने से चंदेरी में उत्पन्न हुआ, जिसके बाद यह वाद 2,000/— रुपये पर मूल्यांकन कर 724/— रुपये न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्रमांक—01 में उल्लेखित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।

05:—प्रतिवादी क्रमांक—01 की ओर से दावे का जबाब संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मीठाखेडा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक—151/277/02 रकबा—0.836 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक—151/277/01/01 रकबा 0.045 हैक्टेयर प्रतिवादी क्रमांक—01 के स्वामी व अधिपत्य की भूमि है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में पारित जयपत्र दिनांक—03.11.2003 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में उसकी भूमि बनी है और उसी के अनुसार मौके पर प्रतिवादी क्रमांक—01 काबिज है। वादीगण वाद संलग्न नक्शे में प्रतिवादी क्रमांक—01 की भूमि को अपनी प्रकट कर रहे है। उक्त भूमि पर बादाम सिंह पूर्व से काबिज था और उसकी के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक—01 का कब्जा है। वादीगण को प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में पक्षकार बनाने

की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनसे बादाम सिंह को कोई विवाद नहीं था। बादाम सिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक-01, जो बादाम सिंह की एक मात्र पुत्री है का नामांतरण हुआ है। दिनांक-10.04.2014 को प्रतिवादी क्रमांक-01 ने वादीगण को कोई धमकी नहीं दी और न ही उनकी भूमि पर कब्जा किया, बल्कि प्रतिवादी अपनी स्वयं की भूमि पर ही काबिज है।

06:— अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के आदेश दिनांक-25.07.2013 के पालन में तहसीलदार चंदेरी ने वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण क्रमांक-96बी121/13-14 में आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय के जयपत्र में हस्तक्षेप न करते हुये राजस्व मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं किया तथा उक्त आदेश वादीगण पर बंधनकारी है। वादीगण को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 चंदेरी के निर्णय दिनांक-28.10.2003 के अनुसार बनाये गये जयपत्र की जानकारी पूर्व थी तथा इस न्यायालय को स्वयं के द्वारा पारित जयपत्र को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने यह वाद दिनांक-27.07.2016 को प्रस्तुत किया है, इस कारण वादी का यह वाद अवधि बाधित है। वादीगण प्रस्तुत वाद के माध्यम से राजस्व मानचित्र में संशोधन कराना चाहते हैं। जिसका अधिकार मध्यप्रदेश भू-राजस्व की संहिता की धारा-257 के तहत इस न्यायालय को नहीं है। वादीगण ने तहसीलदार के आदेश से संतुष्ट होकर कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है तथा दावे के साथ अपर्याप्त न्यायशुल्क प्रस्तुत किया है। वादीगण प्रतिवादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः यह वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

07:— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या ग्राम मीठाखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 153/278/02 रकबा 2.091 हैक्टेयर वादीगण के स्वत्व की है ?	प्रमाणित नहीं
02.	क्या वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में अ,ब,स,द से दर्शाया गया भाग सर्वे क्रमांक 153/278/02 रकबा 2.091 हैक्टेयर का भाग है ?	प्रमाणित है
03.	प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाया गया अ,ब,स,द भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ?	प्रमाणित है
04.	क्या वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 के	

	उपरोक्त नक्शा में उल्लेखित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित है
05.	क्या वादीगण उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में क्षतिपूर्ति रुपये 2000/- प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
06.	क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के विरुद्ध सथाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित है।
07.	क्या इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है ?	प्रमाणित है।
08.	क्या वाद अवधि बाधित है ?	प्रमाणित नहीं।
09.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित नहीं।
10.	सहायक एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 46 अनुसार प्रदान की गई।

**—ःसकारण निष्कर्षः—**

**वाद प्रश्न क्रमांक-01 का विवेचन एवं निष्कर्षः—**

08:—वादीगण की ओर से अपने समर्थन में स्वयं वादी पहलवान (वा0सा0-01), जण्डेल सिंह (वा0सा0-02), दीवान आदिवासी (वा0सा0-03) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। पहलवान सिंह (वा0सा0-01) का अपने अभिवचनों के समर्थन में कहना है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-153/278/02 रकबा-2.091 हैक्टेयर उसके व उसके भाईयों के स्वत्व व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है। पहलवान सिंह (वा0सा0-01) के अतिरिक्त जण्डेल सिंह (वा0सा0-02) व दीमान सिंह (वा0सा0-03) का भी अपने सशपथ कथनों में यह कहना है कि विवादित भूमि उन्होंने देखी है, जो ग्राम मीठाखेडा है तथा उक्त भूमि 10 बीघा का खेत है जो आम रास्ते लगी हुई थी, जिस पर वादीगण का कब्जा था।

09:—पहलवान सिंह (वा0सा0-01) के अनुसार विवादित भूमियों का भाईयों ने आपसी बटवारा कर लिया था तथा बटवारों में भूमि सर्वे क्रमांक-153/278/02/01 रकबा-0.532 हैक्टेयर वादी कप्तान सिंह को प्राप्त हुआ, सर्वे क्रमांक-153/278/02/02 रकबा-0.627 हैक्टेयर वादी पहलवान सिंह, सर्वे क्रमांक-153/278/02/03 रकबा-0.523 हैक्टेयर वादी भगवान सिंह को प्राप्त हुआ को प्राप्त हुआ, सर्वे क्रमांक-153/278/02/04 रकबा-0.418 हैक्टेयर वादी राजा भैया प्राप्त हुई थी।

10:—वादीगण की ओर से अपने समर्थन में विवादित भूमि से संबंधित खसरा व खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.—01 लगायत 08 एवं प्र.पी.—13 लगायत 14 प्रकरण में प्रस्तुत किये हैं। प्र.पी.—02 व 01 खसरा खतौनी वर्ष 2015—16, प्र.पी.—03 की खतौनी वर्ष 2013—14 में सर्वे क्रमांक 153/278/02/04 रकबा—0.418 हैक्टेयर पर वादी राजाभैया के नाम की प्रविष्टि है। प्र.पी.—04 व 05 के खसरा खतौनी वर्ष 2009—10 एवं प्र.पी.—06 व 07 के खसरा खतौनी वर्ष 2011—12 एवं प्र.पी.—15 के खसरा वर्ष 2015—16 में सर्वे क्रमांक—153/278/02/02 रकबा—0.627 हैक्टेयर वादी पहलवान सिंह के नाम की प्रविष्टि है। वहीं प्र.पी.—13 के खसरा वर्ष 2015—16 में भूमि सर्वे क्रमांक—153/278/02/01 रकबा 0.523 हैक्टेयर पर वादी कप्तान सिंह एवं प्र.पी.—14 के खसरा वर्ष 2015—16 में भूमि सर्वे क्रमांक—153/278/02/03 रकबा—0.523 हैक्टेयर पर वादी भगवान सिंह के नाम की प्रविष्टि दर्शित है।

11:—वादीगण की ओर से अपने समर्थन में संबत् 2053—57 अर्थात् 1997—2001 के खसरे सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.—08 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, जिससे विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—153/278/02 रकबा—2.090 हैक्टेयर वादीगण के पिता हम्मीर सिंह के नाम की खसरे के कॉलम नंबर तीन में कब्जेदार के रूप में प्रविष्टि है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त राजस्व अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—153/278/02 रकबा—2.090 हैक्टेयर पूर्व में वादीगण के पिता हम्मीर सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जो हम्मीर सिंह की मृत्यु के पश्चात् वादी के नाम पर नामांतरित हुई एवं उपरोक्त बटांकन के अनुसार विवादित भूमि पर वादीगण का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में स्वीकार हुआ है।

12:—उपरोक्त भूमियां वादीगण के स्वत्व व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है, इस संबंध में वादीगण के अभिवचन व पहलवान सिंह (वा0सा0—01) के सशपथ कथनों में दिये गये उपरोक्त कथनों को प्रतिवादी पक्ष की ओर से हालांकि कोई चुनौती नहीं दी गई हैं, परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में एव प्रस्तुत साक्ष्य में यह स्वीकार भी नहीं किया है कि विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है। विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व की है, उक्त वाद प्रश्न वादीगण के अभिवचनों के आधार पर निर्मित होने से उसे साबित करने का भार वादीगण पर है।

13:—पहलवान सिंह (वा0सा0—01) अपने अभिवचनों के समर्थन में विवादित भूमि को वादीगण के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि होना तो अपने कथनों में कहता है तथा जण्डेल सिंह (वा0सा0—02) व दीमान सिंह (वा0सा0—03) भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्राम मीठाखेडी में विवादित भूमि आम रास्ते से लगी हुई है, जिसका खण्डन तक प्रतिवादी पक्ष ने नहीं किया है, परन्तु मात्र उपरोक्त मौखिक साक्ष्य पर विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है। वादीगण ने अपने अभिवचनों में तथा स्वयं पहलवान सिंह (वा0सा0—01) ने अपने कथनों में यह कही भी स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित भूमि प्राप्त होने का उनके पास स्त्रोत क्या था अर्थात्

किस स्रोत से उन्हें विवादित भूमि प्राप्त हुई।

14:—वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व खसरा व खतौनी से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर वादीगण से पूर्व उनके पिता हम्मीर सिंह एवं हम्मीर सिंह के बाद वादीगण का आपसी बटवारे के अनुसार नामांतरण स्वीकार हुआ है, परन्तु वादीगण के नाम की या उसके उनके पिता के नाम की राजस्व खसरा व खतौनी में हुई प्रविष्टि एवं पिता की मृत्यु के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि पर वादीगण का स्वीकार हुआ नामांतरण वादीगण का विवादित भूमि पर स्वत्व साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

15:—माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Rajaram vs State Of M.P. And Ors. 2003 (4) MPHT 163.** में स्पष्ट अभिमत दिया है कि..... The suit for declaration of title in relation to suit land can not be decreed unless there are adequate documentary evidence filed by the plaintiff in support of his plea of ownership such as sale deed, partition deed, Will, Gift or any other testamentary documents which creates an interest in immoveable property. In the event of any plea regarding acquisition by legal fiction recognised under the Revenue Law, conferring ownership rights, the plaintiff must tender evidence which is in accord with the requirement of law. This also require very strict proof else, ownership rights can not be conferred उपरोक्त न्यायमत वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर भी लागू होता है।

16:—राजस्व खसरा में किसी भूमि के संबंध में की गई प्रविष्टि स्वत्व का प्रमाण नहीं होती है, स्वत्व को साबित करने के लिये स्वत्व के स्रोत को साबित किया जाना आवश्यक होता है। वादीगण के पिता हम्मीर सिंह को विवादित भूमि कैसे व किस आधार पर प्राप्त हुई थी इस आशय का वादीगण की ओर से न तो अभिवचन किया गया है, और न ही कोई साक्ष्य पेश की गई है। मात्र राजस्व खसरा में हुई प्रविष्टि के आधार पर जो कि दो चार वर्ष पूर्व की है, से विवादित भूमि पर वादीगण के स्वत्व प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक-02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

17:—पहलवान सिंह (वा0सा0-01) का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में दर्शायी गई अ,ब,स,द अक्षरों से भूमि उसके स्वत्व व अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक-153/278/02 रकबा-2.091 हैक्टेयर है, जिसे हड़पने के उद्देश्य से प्रतिवादी क्रमांक-01 प्रभुबाई के पिता बादाम सिंह ने सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं 151/02 की आड में अपने परिवार के प्रतीम सिंह संग्राम सिंह, दलेल सिंह व श्रीराम के साथ मिलकर छलपूर्वक प्रकरण

क्रमांक-33ए/2002 में राजीनामा के आधार पर गलत डिक्री पारित करा ली है और न्यायालय की डिक्री की आड में विवादित भूमि अ,ब,स,द पर गलत बटा अंकित करावा लिया।

18:- अतः वादी पहलवान सिंह (वा0सा0-01) के अनुसार वाद पत्र के साथ सलंगन नक्शों में दर्शाई गई अ,ब,स,द अक्षरों से चिन्हित भूमि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-153/278/02 रकबा-2.091 हैक्टेयर है, जिसे संबंध में प्रतिवादी क्रमांक-01 के पिता ने प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में छलपूर्वक न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर उस पर अपने बटा सर्वे क्रमांक-151/277/01 एवं सर्वे क्रमांक-151/277/02 तहसील न्यायालय से अंकित करा लिया है।

19:- प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों में यह स्वीकार किया गया है कि वादी अ,ब,स,द अक्षरों से जिस भूमि को विवादित बता रहा है उक्त भूमि सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 रकबा-1.045 हैक्टेयर है, एवं 151/277/02 रकबा-0.836 हैक्टेयर भूमि है, जो राजस्व अभिलेख में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 चंदेरी के प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित जयपत्र दिनांक-03.11.2003 के पालन में बनी है और उसी अनुसार उसका विवादित भूमि पर कब्जा है। जिसके संबंध में वादीगण की अपने दावे में प्रमुख आपित्त यह है कि प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में प्रतिवादी क्रमांक-01 के पिता बादाम सिंह ने छलपूर्वक राजीनामों के आधार पर जयपत्र पारित करा कर नक्शों से उसकी भूमि का सर्वे क्रमांक काट कर सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं 151/277/02 अंकित करा लिया।

20:- अतः मुख्य रूप यह देखा जाना है कि वास्तव में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में प्रतिवादी क्रमांक-01 के पिता बादाम सिंह ने वास्तव में छलपूर्वक राजीनामों के आधार पर जयपत्र पारित कराया है। इसको साबित करने के लिये वादीगण की ओर से अभिलेख पर अपने समर्थन में प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित आदेश दिनांक-28.10.2003 एवं उक्त आदेश के पालन में जारी किया गया जयपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.-10 व 11 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है तथा साथ ही उक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-01 के पिता बादाम सिंह की ओर से प्रस्तुत नक्शों की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.-09 भी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में वादीगण की ओर से तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 196बी/121/13-14 में पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.-18 एवं उक्त प्रकरण में प्रस्तुत की गई पटवारी रिपोर्ट व नक्शों की सत्यप्रतिलिपि क्रमशः प्र.पी.-16 व 17 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है तथा साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में प्रस्तुत अपील प्रकरण क्रमांक-26अपील/06-07 में प्रस्तुत अक्ष अनुसार नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.-19 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।

- 21:— वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य में सर्वप्रथम प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में बादाम सिंह की ओर से प्रस्तुत अक्श अनुसार नक्शों की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.-09 एवं तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-196बी/121/13-14 में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट प्र.पी.-16 एवं नक्शों की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.-17 को संयुक्त रूप से देखा जाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में वादीगण ने वाद संलग्न नक्शों में जिस भूमि को अ,ब,स,द अक्षरों से चिह्नित कर सर्वे क्रमांक-153/278/02 दर्शाया है, उक्त भूमि को ही प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में बादाम सिंह की ओर प्रस्तुत नक्शा प्र.पी.-09 में सर्वे क्रमांक-151/277/03 व 151/177/01/01 से चिह्नित किया गया है और चूंकि प्रकरण में राजीनामों के आधार पर प्र.पी.-10 का आदेश व प्र.पी.-11 का जयपत्र जारी किया गया है, इसलिय न्यायालय के द्वारा प्र.पी.-09 के नक्शों के मुताबिक ही उक्त अ,ब,स,द अक्षरों से भूमि को बादाम सिंह के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि घोषित किया गया।
- 22:— यह उल्लेखनीय है कि प्र.पी.-16 की पटवारी रिपोर्ट एवं प्र.पी.-17 के नक्शों अनुसार व्यवहार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2003 के पूर्व विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-153/178/02 राजस्व नक्शों में लाल स्याही से पूर्व से चिह्नित थी जिसे व्यवहार न्यायालय के जयपत्र प्र.पी.-11 के आधार पर राजस्व न्यायालय ने काट कर सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक-151/277/03 अंकित कर दिया है। यदि प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित आदेश दिनांक-28.10.2003 के पूर्व अ,ब,स,द अक्षरों से भूमि राजस्व नक्शों में सर्वे क्रमांक-153/178/02 थी तो स्पष्ट तौर पर प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में बादाम सिंह की ओर से तद्समय के राजस्व नक्शों के विपरीत विवादित भूमि जो कि सर्वे क्रमांक-153/278/02 राजस्व नक्शों में अंकित थी, उसे सआशय सर्वे क्रमांक सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक-151/277/03 के रूप में बिना किसी आधार के अंकित कर प्रस्तुत किया गया है।
- 23:— प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से अपने समर्थन में प्रीतम सिंह (प्र0सा0-02), व निरन सिंह (प्र0सा0-03) के शपथ पत्र व कथन न्यायालय में कराये गये हैं। जिनके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह दोनों ही व्यक्ति प्रतिवादी क्रमांक-01 के पिता बादाम सिंह की ओर से पूर्व में प्रस्तुत व्यवहार वाद-33ए/2002 में प्रतिवादी थी, जिनसे बादाम सिंह के राजीनामों के आधार पर प्र.पी.-10 का आदेश न्यायालय के द्वारा पारित कर प्र. पी.-11 का जयपत्र जारी किया गया। प्रीतम सिंह (प्र0सा0-02) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसका बादाम सिंह से आज तक विवाद नहीं चला और न ही उसने बादाम सिंह की किसी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस साक्षी ने प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 की जानकारी होने से इन्कार किया है तथा किसी भी न्यायालय में बादाम सिंह से राजीनामा करने की घटना से ही इन्कार किया है। यदि वास्तव में प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में बादाम सिंह व प्रतिवादीगण में वास्तविक रूप से कोई विवाद था और उसमें पक्षकारों के द्वारा विधिवत्



राजीनामा किया गया होता, तो निश्चित रूप से उसी प्रकरण में प्रतिवादी प्रीतम सिंह (प्र0सा0-02) यह बताने की स्थिति में होता कि उसने प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में विवादित भूमि के संबंध में बादाम सिंह से राजीनामा किया था।

24:— बादाम सिंह के द्वारा प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में तद्समय के राजस्व नक्शों के विपरीत विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-153/278/02 के स्थान पर सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक-151/277/03 अंकित कर प्र.पी.-09 का नक्शा प्रस्तुत करना एवं उक्त प्रकरण के पक्षकार प्रीतम सिंह को स्वयं ही प्रकरण में हुये बादाम सिंह से राजीनामों की जानकारी न होना, यह साबित करता है कि बादाम सिंह ने सआशय छलपूर्वक न्यायालय को गुमराह करते हुये मौके की स्थिति के विपरीत प्र.पी.-11 का जयपत्र अपने पक्ष में जारी करा लिया और जयपत्र के आधार पर राजस्व नक्शों में जो भूमि पूर्व में 153/278/02 अंकित थी, उसे राजस्व न्यायालय से उक्त छलपूर्वक प्राप्त किये गये जयपत्र प्र.पी.-11 के आधार पर सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक-151/277/03 के रूप में अंकित करा कर नक्शों से कटवा लिया।

25:— प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक-151/277/03 होने का एकमात्र आधार प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित न्यायालय का जयपत्र प्र.पी.-11 हैं, जो कि अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-01 के पिता बादाम सिंह के द्वारा छलपूर्वक न्यायालय को गुमराह करते हुये मौके एवं राजस्व नक्शों की स्थिति से भिन्न प्रकरण में प्र.पी.-09 का नक्शा प्रस्तुत करते हुये प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण जो भूमि पूर्व में राजस्व नक्शों सर्वे क्रमांक-153/278/02 अंकित थी, वो न्यायालय के जयपत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय ने बिना कुछ देखे सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक 151/277/03 अंकित कर दी थी।

26:— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वाद पत्र के साथ सलग्न नक्शों में अ,ब,स,द अक्षरों से दर्शाया गया भाग सर्वे क्रमांक-153/278/02 रकबा 2.091 हैक्टेयर है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-02 का प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक-03 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

27:— प्रतिवादी क्रमांक-01 जिन भूमि सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक-151/277/03 स्वामित्व व अधिपत्य की होना बता रही है, उनकी नक्शों में पूर्व की स्थिति क्या थी, यह साबित करने के लिये प्रतिवादी की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही तहसीलदार के प्रकरण

क्रमांक-196बी/121/13-14 में तहसीलदार ने इस बिंदू पर विचार किया है। प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से के संबंध में वर्ष 2016-17 के ,खसरा व खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.-01 व 02 प्रस्तुत की गई है तथा संबत 2053-57 एवं 2058-62 के खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.-03 व 04 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। उक्त भूमियां प्रतिवादी क्रमांक-01 को या उसके पिता को कैसे प्राप्त हुई तथा वह राजस्व नक्शों में प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित आदेश से पूर्व किस स्थान पर अंकित थीं, यह साबित करने के लिये प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

28:— पहलवान सिंह (वा0सा0-01) का कहना है कि दिनांक-10.04.2014 को प्रतिवादी क्रमांक-01 ने विवादित भूमि के अंश क,ख,ग,घ पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-01 का कब्जा है, यह स्वयं प्रतिवादी प्रभुबाई (प्र0सा0-01) सहित उसकी ओर से परिक्षण कराये गये साक्षी प्रीतम सिंह (प्र0सा0-02) व निरन सिंह (प्र0सा0-03) ने भी अपने कथनों में स्वीकार किया है। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-153/178/02 रकबा-2.091 हैक्टेयर भूमि है, के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक-01 का कहीं भी यह दावा नहीं है कि उक्त भूमि उसके स्वत्व व अधिपत्य की भूमि है।

29:— यदि सर्वे क्रमांक-153/178/02 रकबा-2.091 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी क्रमांक-01 का कोई संबंध नहीं है और अ,ब,स,द अक्षरों से चिह्नित भूमि 153/178/02 रकबा-2.091 हैक्टेयर भूमि है, जो कि प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित आदेश से पूर्व राजस्व नक्शों में भी अंकित थी तथा राजस्व खसरा में उक्त भूमि पर वादीगण तथा उसके पूर्व उनके पिता का नाम अंकित था, तो ऐसे में उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-01 के द्वारा न्यायालय से छलपूर्वक प्राप्त किये गये जयपत्र के आधार पर अपना स्वत्व व अधिपत्य दर्शित करना तथा बिना किसी आधार के उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कर लेना उसके कब्जे को विधि सम्मत प्रमाणित नहीं करता है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-01 ने वाद पत्र के साथ संगलन नक्शों में दर्शाया गई विवादित भूमि अ,ब,स,द भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। परिणामस्वरूप वाद प्रश्न क्रमांक-03 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक-04 व 06 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

30:— उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से जहा यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी क्रमांक-01 ने वाद संलग्न नक्शों में दर्शाये गई विवादित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है और चूंकि पूर्व से वादीगण तथा उसके पिता उक्त विवादित भूमि पर काबिज थे, जिनसे अवैध रूप से कब्जा छिनने के कारण वह उक्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी क्रमांक-01 से प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। वादीगण का विवादित भूमि पर भले ही स्वत्व प्रमाणित न होता हो, परन्तु विवादित भूमि पर उनका तथा उनके पिता का

राजस्व खसराओं से लंबे समय से कब्जा दर्शित हो रहा है। छलपूर्वक प्राप्त किये गये जयपत्र के आधार पर तहसील न्यायालय से नक्शों में कराये गये संशोधन मात्र से प्रतिवादी क्रमांक-01 का विवादित भूमि पर कब्जा वैध नहीं माना जा सकता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाये बिना उन्हें प्रतिवादी क्रमांक-01 या कोई अन्य वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने का भी अधिकार नहीं रखता है।

- 31:— परिणामस्वरूप उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वादीगण प्रतिवादी क्रमांक-01 से प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित आदेश के पूर्व की स्थिति अनुसार विवादित भूमि का अधिपत्य धारित करने का अधिकार रखते हैं तथा उक्त भूमि का वह प्रतिवादी क्रमांक-01 से रिक्त अधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार रखने के साथ साथ प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकार रखते हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 व 6 प्रमाणित होने से उनका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक-05 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 32:— अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वादीगण के अधिपत्य के विवादित सर्वे क्रमांक के कुछ अंश भाग पर प्रतिवादी क्रमांक-01 ने प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित जयपत्र के आधार पर कब्जा कर लिया है, परन्तु उक्त अंश भाग का निश्चित क्षेत्रफल स्पष्ट न करते हुये वाद पत्र के साथ सलग्न नक्शों में उसे क,ख,ग,घ अक्षरों से चिन्हित किया गया है। उक्त अंश भाग कितना है, उसमें किस फसल से कितना लाभ वादीगण को प्राप्त होता था अथवा निकटवर्ती भूमियों पर इतने ही रकबे पर फसल से कितना लाभ वादीगण को निश्चित रूप से प्राप्त होता था, इस संबंध में वादीगण की ओर से अभिलेख पर अभिवचनों के अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

- 33:— अतः वादीगण का यह कहना कि उन्हें प्रतिवर्ष क,ख,ग,घ भाग भूमि पर कब्जे से जिसका कहीं भी क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं है, से 2,000/- रुपये प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से साबित नहीं होता है। अतः वादीगण उपरोक्त अनुसार बिना किसी युक्ति-युक्त आधार के प्रतिवादी से 2,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से क्षतिपूर्ति राशि के रूप में धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 05 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक-07 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 34:— प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से अपने अभिवचनों में दावे को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 चंदेरी के प्रकरण क्रमांक-33ए/2002 में पारित निर्णय दिनांक-28.10.2003 के अनुसार पारित किये गये जयपत्र को निरस्त करने का

अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत करनी थी, जो न किये जाने से यह वाद इस न्यायालय में विचारण किये जाने योग्य नहीं है।

35:— यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामों के आधार पर आदेश प्र.पी.—10 एवं उक्त आधार पर जयपत्र प्र.पी.—11 पारित किया गया है और चूंकि उक्त प्रकरण में जिसमें राजीनामों के आधार पर डिक्री पारित की गई है, वादीगण पक्षकार नहीं थे। इसलिए वादीगण उक्त प्रकरण में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये सक्षम नहीं थे और न ही उक्त प्रकरण में पारित निर्णय के विरुद्ध जयपत्र को उसी न्यायालय में चुनौती देने के लिये ही वादीगण सक्षम थे। अतः ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो कि राजीनामा डिक्री के प्रकरण में पक्षकार नहीं है, परन्तु उक्त डिक्री से उसके हित प्रभावित होते हैं, तो उसके लिये सहायता प्राप्त करने का एक मात्र विकल्प पृथक से वाद प्रस्तुत कर उक्त राजीनामों डिक्री को चुनौती देना है।

36:—पूर्व में निराकृत प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में वादीगण पक्षकार नहीं थे, उक्त प्रकरण में राजीनामों के आधार पर पारित आदेश दिनांक—28.10.2003 प्र.पी.—10 एवं उक्त आदेश के आधार पर पारित की गई डिक्री प्र.पी.—11 से वादीगण के हित प्रभावित हुये हैं तथा वादीगण ने स्पष्ट रूप उक्त प्रकरण में पारित आदेश व डिक्री को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रतिवादी क्रमांक—01 के पिता ने छलपूर्वक अपने हित में जयपत्र प्राप्त किया है। अतः वादीगण के पास एक मात्र विकल्प पृथक वाद प्रस्तुत कर पूर्व में प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में पारित डिक्री को अपास्त कराना था, जिसके लिये वादीगण पूरी तरह से सक्षम थे तथा इस न्यायालय को भी प्रस्तुत वाद सुनने का एवं वांछित सहायता प्रदान करने का संपूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **Santosh Kumar & Anr. v. Hachhu & others, 2010 (iv) MPJR 216** में प्रतिपादित विधि पर आधारित है जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिमत दिया है कि.... The provision of order 23 rule 3-A is applicable only to the persons who are parties to the compromise, however, the persons who were not party to the compromise can institute a suit.

37:—प्रतिवादी क्रमांक—01 की ओर से इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को इस आधार पर चुनौती दी है कि वादीगण ने राजस्व मानचित्र में संशोधन किये जाने की सहायता चाही है। जिसे प्रदान करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है तथा धारा—257 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता के अनुसार यह न्यायालय उक्त सहायता प्रदान करने से प्रतिबंधित है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता सहित कब्जा वापसी की सहायता तथा पूर्व में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में पारित आदेश दिनांक—28.10.2003 को वादीगण के हितों के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने की सहायता चाही गई है तथा उक्त निर्णय के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को भी शून्य घोषित किये

जाने की सहायता चाही गई है। उक्त सहायतायें प्रदान करने एवं इस वाद का सुनवाई का संपूर्ण क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-07 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक-08 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 38:— वादीगण के द्वारा इस वाद में वाद कारण दिनांक-10.04.2014 दर्शाते हुये, दिनांक-01.08.2016 को यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रतिवादी क्रमांक-01 के द्वारा अपने अभिवचनों में आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 33ए/2002 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2003 को पारित किया गया परन्तु उसके बाद भी यह वाद दिनांक-27.07.2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से प्रस्तुत वाद अवधि बाधित है।
- 39:— उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम तो यह वाद दिनांक-01.08.2016 को प्रस्तुत हुआ है वही निश्चित रूप से वाद में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के प्रकरण क्रमांक 33ए/2002 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2003 को दावे में चुनौती दी गई है परन्तु दावे में यह भी स्पष्ट अभिवचन है कि निर्णय दिनांक 28.10.2003 से पूर्व नक्शों में विवादित भूमि का सर्वे क्रमांक 153/178/02 था जिसे बाद में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के न्यायालय के द्वारा राजीनामों के आधार पर पारित किये गये जयपत्र के आधार पर उपरोक्त सर्वे क्रमांक काटते हुये सर्वे क्रमांक-151/277/01/01 एवं सर्वे क्रमांक-151/277/03 अंकित किया गया तथा इस के विरुद्ध निरन्तर वादी के द्वारा राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करता रहा।
- 40:— वादीगण के अभिवचन के अनुसार राजस्व न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान भी मौके पर विवादित भूमि पर वादीगण का ही कब्जा रहा तथा दिनांक-10.04.2014 को उक्त विवादित भूमि के अंश भाग पर प्रतिवादी क्रमांक-01 के द्वारा कब्जा किये जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। परिसीमा अधिनियम के अनुसार ऐसे वाद जिसमें स्वत्व के आधार पर कब्जा वापसी की सहायता चाही गई है, उसके लिये दावा प्रस्तुत करने की अवधि कब्जा किये जाने के दिनांक से 12 वर्ष है। उक्त अवधि को देखते हुये यह स्पष्ट होता है कि दिनांक-10.04.2014 की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के अंदर ही यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो कि समय अवधि में है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 08 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक-09 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 41:— वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि पर स्वत्व घोषणा की सहायता सहित उक्त भूमि पर संलग्न नक्शों के अनुसार क,ख,ग,घ का प्रतिवादी क्रमांक-01 के कब्जा दिलाये जाने एवं उसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता सहित उक्त भूमि के संबंध

में तहसीलदार के आदेश एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के प्रकरण क्रमांक 33ए/2002 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2003 एवं डिक्री को वादीगण के स्वत्व के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने व प्रतिवर्ष 2,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सहायता प्राप्त करने के लिये वादीगण ने कुल न्यायशुल्क 724/- रुपये प्रस्तुत किया।

42:- प्रतिवादी क्रमांक-01 ने अपने अभिवचनों में वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायशुल्क अपर्याप्त बताते हुये व्यक्त किया है कि वादीगण ने स्वत्व घोषणा तथा क्षतिधन के दिलाये जाने के लिये न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायशुल्क के संबंध में चाही गई सहायता एवं वाद का मूल्यांकन देखे जाने की आवश्यकता है कि वादी ने वाद का मूल्यांकन स्वत्व घोषणा के लिये 46/- रुपये लगान एवं कब्जा व क्षतिपूर्ति की राशि के लिये 2,000/- रुपये किया है तथा स्वत्व घोषणा के लिये 500/- रुपये एवं कब्जा व क्षतिपूर्ति राशि के लिये 224/- रुपये न्यायशुल्क अर्थात् कुल न्यायशुल्क 724/- रुपये अदा किया है।

43:- वादीगण के द्वारा चाही गई सहायता को यदि देखा जाये तो स्वत्व घोषणा की सहायता मुख्य सहायता है, तथा परिणामिक सहायता के रूप में कब्जा वापसी एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है। जिसके लिये न्यायशुल्क गणना न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) c के तहत की जानी चाहिये, वहीं तहसीलदार का आदेश शून्य घोषित किये जाने एवं व्यवहार न्यायालय का आदेश वादीगण के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने की सहायता दो पृथक पृथक सहायतायें हैं। जिनके लिये निश्चित न्यायशुल्क न्यायशुल्क अधिनियम की अनुसूची दो के खण्ड 17 (1) में तहत 500-500/- रुपये अदा किये जाने थे।

44:- वादीगण के द्वारा वाद का मूल्य वाद ग्रस्त भूमि के लगान पर निर्धारित किया है, उक्त मूल्य का उपयोग न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) c के तहत स्वत्व घोषणा कब्जा वापसी एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता के लिये भी किया जावेगा। जिस पर मूल्य के अनुसार वादी को न्यायशुल्क उपरोक्त सहायताओं के लिये अदा करना था। विवादित भूमि का लगान राजस्व खसरो में 3.56 दर्शित हो रहा है जिसके बीस गुना 71.2 को ईप्सित अनुतोष की रकम मानी जाये, उस पर मूल्य के अनुसार न्यायशुल्क की गणना की जाये तो वादीगण ने उससे कई अधिक 500/- न्यायशुल्क अदा किया है, वहीं क्षतिपूर्ति राशि के लिये पृथक से 224/- रुपये न्यायशुल्क भी अदा किया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार का आदेश शून्य घोषित किये जाने एवं व्यवहार न्यायालय का आदेश वादीगण के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने की सहायता दो पृथक-पृथक सहायतायें हैं। जिसके लिये निश्चित न्यायशुल्क न्यायशुल्क अधिनियम की अनुसूची दो के खण्ड 17 (1) में तहत 500-500/- रुपये अर्थात् 1,000/- रुपये अदा किये जाने थे। जो कि वादीगण के द्वारा अदा नहीं किये

है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन न करके 1,000/— रुपये कम न्यायशुल्क अदा किया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक—09 का प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक—10 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

#### सहायता एवं वाद व्यय—

- 45:— वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर भले ही विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने में सफल नहीं हुआ, परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य से वादी ने विवादित भूमि पर अपना व अपने पिता का लंबे समय से अधिपत्य होना साबित किया है तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी क्रमांक—01 के पिता बादाम सिंह के द्वारा प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में राजीनामों के आधार प्राप्त किया गया जयपत्र प्र.पी.—11 छलपूर्वक प्राप्त किया है। जिससे विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक—01 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।
- 46:— प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में पारित अंतिम आदेश व जयपत्र पूर्ण रूप से मौके की स्थिति के विपरीत एवं छल के द्वारा प्राप्त किये जाने से पूरी तरह से शून्य एवं निष्प्रभावी है और प्रकरण क्रमांक—33ए/2002 में पारित आदेश दिनांक—28.10.2003 में जयपत्र दिनांक—03.11.2003 प्रारम्भतः ही शून्य है, जो उसके आधार पर तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—241बी/121/06—07 एवं प्रकरण क्रमांक—196बी/121/13—14 में तहसीलदार चंदेरी के द्वारा पारित किये गये आदेश भी प्रारम्भतः शून्य हो जाते हैं। फलस्वरूप उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से प्रमाणित पाते हुये निम्न आशय की अज्ञप्ति जारी की जाती है।

01:—	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 चंदेरी के न्यायालय के निराकृत प्रकरण क्रमांक 33ए/2002 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2003 एवं जयपत्र दिनांक 03.11.2003 शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है।
02:—	प्रतिवादी क्रमांक—01 दो माह की अवधि में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—153/278/02 रकबा—2.091 हैक्टेयर का रिक्त अधिपत्य वादीगण को सौंपने का आदेश दिया जाता है।
03:—	वादीगण को राजस्व नक्शों में विवादित भूमि का पूर्व अनुसार अमल कराने का अधिकारी घोषित किया जाता है।
04:—	वादीगण के द्वारा अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। यह डिक्री वादीगण के द्वारा न्यायशुल्क अदायगी की पूर्ति एक माह के अन्दर करने के बाद ही प्रभावशील होगी।

05:—	वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
06:—	अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावें।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित  
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित  
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.